

मध्यप्रदेश शासन  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2

भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2016

प्रति,

- 1 अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
समस्त विभाग।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।
- 3 जिला कलेक्टर,  
समस्त, मध्यप्रदेश।
- 4 ~~समस्त निगम मंडल~~


विषय:-मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनान्तर्गत विभागीय GIS (जीआईएस) डाटा समेकित करने के संबंध में।

संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 27-2-2016

-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदिर्भत पत्र का अवलोकन करें। जिसके द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनान्तर्गत विभागों/उपक्रमों/संस्थाओं के सृजित डाटा को समेकित किया जाकर साझा किये के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (SSDI) नीति अनुसार परियोजना का शीघ्रताशीघ्र क्रियान्वयन किया जाना है। अतः सृजित GIS डाटा को समेकित करने के संबंध में कृपया आपके विभाग अन्तर्गत ~~अपर~~ <sup>संयुक्त</sup> संचालक/ उप संचालक स्तर के अधिकारी को एकल संपर्क सूत्र (Single point of contact) नियुक्त कर विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि उनसे नियमित संपर्क सुनिश्चित कर GIS डाटा को साझा किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा सके।



(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

ACCO  
T.H.CO.S.O



क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2

भोपाल, दिनांक 02 मई, 2016

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नालाजी, स्टेट आई.टी; सेन्टर, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. विन्ध्याचल भवन, भोपाल।



उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2

भोपाल, 27-फरवरी, 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश।
3. जिला कलेक्टर,  
मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनांतर्गत  
विभागीय GIS (जीआईएस) डाटा समेकित करने के संबंध में।

-----

प्रदेश की भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं (Geographically Referenced) /आंकड़ों को एकत्र करने, उनका प्रबंधन/विश्लेषण और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्र. एफ 9-1/2010/56 दिनांक 14 अक्टूबर 2014 द्वारा राज्य की स्पेशल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 (MPSSDI Policy-2014) जारी की गई है (संलग्न)। इसके पूर्व विभाग द्वारा क्रियान्वित जीआईएस परियोजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन, परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (अपेक्स कमेटी) की दिनांक 05.10.2012 को आयोजित बैठक में प्रदेश में GIS (Geographical Information System) लैब स्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) को नोडल विभाग नामांकित किया गया है।

2- प्रदेश की स्पेशल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन अंतर्गत किसी भी संस्था द्वारा निर्मित GIS डाटा का लाभ अन्य शासकीय परियोजनाओं के लिए भी प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत MAP\_IT द्वारा MPSSDI परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। MPSSDI परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के पश्चात् किसी भी विभाग तथा शासकीय उपक्रम /



संस्था द्वारा तैयार किया गया GIS डाटा सभी विभागों/ शासकीय उपक्रमों/ संस्थाओं को decision support हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3- MAP\_IT द्वारा SSDI परियोजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है जो निम्नानुसार है :-

(क) **आधारभूत डाटा का निर्माण :**

प्रथम चरण अंतर्गत प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों का GIS डाटा बनाया जाना था। यह कार्य लगभग 94 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। इसमें विभागीय आवश्यकता के अनुसार ग्राम, विकासखण्ड, नगरीय क्षेत्रों के वार्ड की सीमाओं, वन परिक्षेत्र आदि की जानकारी उपलब्ध है। MAP\_IT में प्रदेश की सेटेलाइट इमेज उपलब्ध है (रेसोल्यूशन 0.5m)। विभाग तथा शासकीय उपक्रम/ संस्था उक्त इमेज MAP\_IT के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

(ख) **प्रदेश में अब तक निर्मित GIS डाटा को समेकित करना :**

समस्त विभागों तथा शासकीय उपक्रमों / संस्थाओं के अंतर्गत अब तक सृजित GIS डाटा को समेकित किया जाकर एकीकृत डाटा का निर्माण किया जाना है, जिससे वर्तमान में उपलब्ध डाटा का आंकलन किया जा सके और आवश्यक अतिरिक्त डाटा के संचयन हेतु प्राथमिकताएँ निर्धारित की जा सके।

(ग) **निर्मित GIS डाटा को विभागों तथा शासकीय उपक्रमों/ संस्थाओं से साझा किया जाना :**

द्वितीय चरण के अनुसार समेकित एवं सृजित एकीकृत डाटा को सिंगल विन्डो के माध्यम से सभी विभागों तथा शासकीय उपक्रमों/ संस्थाओं से साझा किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए यदि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को प्रदेश में आंगनबाडियों की जानकारी प्राप्त करनी है या जल संसाधन विभाग को सड़क नेटवर्क की आवश्यकता हो, तो उक्त जानकारियाँ सृजित एकीकृत डाटा के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

डाटा साझा किये जाने के लिए डाटा सिक्यूरिटी पॉलिसी जारी की जायेगी जिसका आधार संबंधित विभागों द्वारा डाटा साझा करने के संबंध में बनाये गये नियम एवं प्रावधान होंगे अर्थात् MPSSDI (एम.पी.एस.एस.डी.आई.) के अंतर्गत केवल डाटा संग्रहण का कार्य होगा तथा डाटा साझा करने संबंधी सभी विभागीय नियमों/ प्रावधानों का पालन किया जायेगा।

डाटा साझा किये जाने हेतु सॉफ्टवेयर का निर्माण MAP\_IT द्वारा लगभग पूर्ण कर लिया है।

(घ) एकीकृत GIS डाटा को अद्यतन किये जाने हेतु व्यवस्था :

साझा किये गये विभागीय डेटा को नियमित अद्यतन किया जायेगा जिसके लिए MAP\_IT द्वारा संबंधित विभाग के साथ चर्चा कर प्रोटोकॉल विकसित किया जा सकेगा। वर्तमान में MAP\_IT द्वारा कुछ मानक प्रोटोकॉल विकसित कर लिये गये हैं।

4/ विभागों तथा शासकीय उपक्रमों/ संस्थाओं से अपेक्षा :


SSDI Policy-2014 के प्रावधान की कंडिका-7 के अनुसार राज्य की सभी एजेंसियों को निर्मित किया जा रहा है GIS डाटा को नोडल एजेंसी को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना है जिससे राज्य के GIS डाटा का मानक केन्द्रीय भण्डार निर्मित हो सके। ऊपर उल्लेखित विभिन्न चरणों की पूर्ति के लिए विभागों तथा शासकीय उपक्रमों/ संस्थाओं से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी :-

(क) विभाग/ उपक्रम/ संस्था को एकीकृत GIS डाटा निर्मित किये जाने, अपडेट किये जाने, साझा किये जाने के लिए एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाना होगा। नोडल अधिकारी की जानकारी MAP\_IT के GIS के नोडल अधिकारी श्री स्वर्ण शिखर पंत जिनका मोबाईल नं. 8827696631, ई-मेल swarn.pant@semt.gov.in है को दिनांक 15 मार्च, 2016 तक उपलब्ध करायी जाना है।

(ख) उपलब्ध GIS डाटा की जानकारी साझा करने के संबंध में निम्न प्रोटोकाल का निर्धारण किया गया है जिसका पालन विभागों तथा शासकीय उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा किया जाना होगा :-

क्र.	डाटा संग्रहण की अद्यतन विधि	GIS डाटा साझा हेतु प्रोटोकाल
1	GIS डाटा किसी वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में उपयोग किया जाता है	वेब सर्विस/ एफटीपी/ सीडी के माध्यम से
2	GIS डाटा किसी डेटाबेस में एकीकृत है	वेब सर्विस/ एफटीपी/ सीडी के माध्यम से
3	अन्य	सीडी/ डीव्हीडी के माध्यम से

कृपया राज्य में एकीकृत GIS डाटा निर्माण किये जाने हेतु संबंधितों को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।

  
27/2/16  
(मनीष रस्तोगी)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.क्र. एफ 5-3/2016/41-2

भोपाल, 27 फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :

1. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मध्यप्रदेश शासन,  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  
:: आदेश ::

भोपाल, 14 अक्टूबर, 2014

क्रमांक एफ 9-1/2010/56 : राज्य शासन संलग्न परिशिष्ट अनुसार मध्यप्रदेश स्पेशियल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति 2014 (SSDI Policy-2014 ) जारी करत है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,



(सुधीर कुमार कोचर)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,  
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ 9-1/2010/56 : भोपाल, अक्टूबर, 2014

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
4. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
9. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव, कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
10. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष,
12. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
15. समस्त जिला कलेक्टर,
16. माननीय मंत्री के निज सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/ सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर /इन्दौर / ग्वालियर।
19. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/ भोपाल।
20. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
21. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
22. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन, भोपाल।
23. प्रबंध संचालक, म0प्र0 ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेन्ट फैसिलिटेशन कार्पोरेशन, भोपाल।
24. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. एजेन्सी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी, स्टेट आई.टी. सेन्टर, अरेरा हिल्स, भोपाल।
25. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विन्ध्याचल भवन, भोपाल।

o/c

  
उप सचिव

13/10/14  
मध्यप्रदेश शासन,

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग



## Madhya Pradesh State Spatial Data Policy-2014

### 1. **Definitions** – in the policy, unless the context otherwise requires

- i. **'State Agencies'** – means state departments, local bodies, public authorities and public agencies
- ii. **'Nodal agency'** – means the nodal agency as designated by the state government for carrying out activities envisaged in the policy
- iii. **'Spatial data'** - means geographically referenced map data along with its requisite attribute information
- iv. **'SSDI'** – means State Spatial Data Infrastructure which is defined as *"the collection of technologies, policies, standards, human resources, and related activities necessary to acquire, process, distribute, use, maintain, and preserve spatial data"*

### 2. **Preamble**

The advent of remote sensing technology has significantly increased the usage of spatial data for planning, monitoring and decision support. Consequently there has been an increase in the number of user of remotely sensed data and its derivatives. Several state departments and their agencies are currently making use of remotely sensed data and its derivatives. An integrated approach towards creation of common standardized spatial data, enabling interdepartmental data sharing and simplifying spatial data access to users are the key measures that can be adopted for maximizing the technology benefits towards better informed decision making. An integrated spatial data infrastructure is therefore required for harnessing technology benefits. Therefore, a state policy on procurement, dissemination and sharing of remotely sensed data and its derivatives is needed.

A


### 3. Objectives

The objectives of the policy are -

- i. To provide mandate for setting up of MP State Spatial Data Infrastructure and create necessary institutional framework for the same;
- ii. To regulate procurement of remotely sensed data;
- iii. To encourage creation and usage of interdepartmental, multipurpose, standardized, co-referenced spatial data including satellite imagery and its derivatives for the entire state;
- iv. To maintain and allow easy access of spatial data to all state users for enabling decision support;

### 4. State Spatial Infrastructure Committee

- i. The state Government shall constitute the State Spatial Infrastructure Committee (SSIC) having following members, namely:
  - a. Chief Secretary to the Government of Madhya Pradesh, as ex-officio Chairperson
  - b. Principal Secretary, Department of Finance, Government of Madhya Pradesh as member;
  - c. Principal Secretary, Department of Revenue, Government of Madhya Pradesh, as member;
  - d. Principal Secretary, Department of Urban Administration and Development, Government of Madhya Pradesh as member;
  - e. Principal Secretary, Department of Planning, Government of Madhya Pradesh as member;
  - f. Principal Secretary, Department of Rural Development, Government of Madhya Pradesh as member;
  - g. Principal Secretary, Department of Scheduled Caste Welfare, Government of Madhya Pradesh as member;
  - h. Principal Secretary, Department of Tribal Welfare, Government of Madhya Pradesh as member;
  - i. SIO, National Informatics Center, Madhya Pradesh as member;



- j. Secretary, Department of Science Technology, Government of Madhya Pradesh as member secretary;
- k. Any other invitee, as per approval of the Chairman;
- ii. SSIC will approve administrative and operational framework including resources, roles and responsibilities, reporting system and the like for SSDI;
- iii. SSIC will approve rules and guidelines for effective implementation of SSDI in Madhya Pradesh;
- iv. SSIC will approve the action plan for setting up SSDI and review its implementation on quarterly basis;
- v. SSIC will enjoy the status of standing Finance committee/ Empowered Finance committee/ Project screening committee as the case may be as per the circular of the department of Finance, Govt of Madhya Pradesh, dated 18.01.2012 for review, administrative approval and screening of the same;
- vi. SSIC will facilitate inter-departmental coordination required to meet the policy objectives;

5. Nodal Agency

- i. Selection of Nodal Agency will be done by State Spatial Infrastructure Committee;
- ii. Nodal Agency will setup State Spatial Data Infrastructure as a dedicated wing within the organization;
- iii. Nodal Agency shall -
  - a. Coordinate with state agencies on spatial data needs, sharing mechanisms, data access and decision support requirements;
  - b. Procure on behalf of the state, high resolution or other required satellite imagery at defined intervals;
  - c. Make appropriate use of data of state agencies for the benefit of citizens;
  - d. If required, engage private or Govt agency for carrying out activities required for meeting the policy objectives;
  - e. Enter into service level agreement or other agreements with state and other agencies to achieve the objectives of the policy;



- f. Formulate the revenue model governing charges, fees, costs and the like to be levied upon the state agencies and other users for usage and access to the spatial data, applications and the like;
  - g. Coordinate with other states and spatial data providers for technology support and spatial data;
  - h. Provide value added services and consultancy to the Government for better planning, utilization and maintenance of resources;
- iv. The nodal agency shall function under the overall administrative control and supervision of the State Spatial Infrastructure Committee and shall be bound by all policies, guidelines, directions and the like issued by the SSIC from time to time.

#### 6. State Spatial Data Infrastructure

Under state spatial data infrastructure, following tasks shall be carried out:-

- i. Providing seamless and standardized spatial data to State and other agencies through electronic or other means, under controlled access. The spatial data shall include :-
  - a. Co-referenced satellite imagery
  - b. Administrative jurisdiction boundaries including those of villages, wards and forests
- ii. Facilitating, creating and providing to users, multipurpose integrated GIS data, comprising department specific spatial datasets and standardized administrative boundaries to state users;
- iii. Providing the means (electronic or other) to state agencies for data updates, so that it may enrich the central repository and be disseminated, through secured data access mechanism, to other state users;
- iv. Facilitating development of decision support systems for better informed decision making by state departments;
- v. Maintaining state's spatial data and applications thereof;

#### 7. General Policy Provisions



- i. The State agencies shall mandatorily make available, by electronic or other means, their spatial data and updates, thereof, to the nodal agency in order to enable creation of standardized central repository of state's spatial data;
- ii. All state agencies requiring spatial context in effective decision making, shall mandatorily make use of spatial data;
- iii. Project proposals of state agencies involving spatial data creation in the state shall require opinion of the nodal agency;
- iv. State agencies shall present the centrally funded project proposals for the review of SSIC, which involve spatial data creation in the state,;
- v. The nodal agency shall make available spatial data from the state's repository, if required, for centrally funded projects involving spatial data creation in the state;
- vi. The state agencies shall share with nodal agency, the spatial data of the state, which has been created through centrally funded projects;
- vii. The state agencies using spatial data shall certify in writing at regular intervals, as decided by SSIC, to the nodal agency that all spatial data along with its attribution has been updated and made available to the nodal agency.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' and 'L' followed by a horizontal line.